भारत न्यायिक पाँच रुपये FIVE RUPEES
भारत न्यायिक पाँच रुपये FIVE RUPEES
भारत न्यायिक INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

49

-1-

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुर्नाविलोकन प्रकरण क्रमांक /2010 जिला रींवा पु-0/26/III/10

श्री Shri K.K. Dwedi, Adv. द्वारा आज दि. 27.01.10 को प्रस्तुत। अवर सचिव राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

बजरंगी मुड़हा पुत्र रामसनेही मुड़हा
निवासी ग्राम मलैगवां तहसील हनुमना
जिला रींवा (म.प्र.) ...... आवेदक

विरूद्ध

रामचंद्र मुड़हा पुत्र रामसनेही मुड़हा
निवासी ग्राम मलैगवां तहसील हनुमना
जिला रींवा (म.प्र.) .... अनावेदक

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण क्रमांक 801-III./08 पुनरीक्षण में पारित आदेश दिनांक 29.10.2009 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुर्नाविलोकन।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है :-

<u>मामले के संक्षिप्त तथ्य :</u>

1- यहकि, ग्राम मलेगवां तहसील हनुमना जिला रींवा में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 61 एवं 56 आवेदक की पैत्रिक भूमिया है, जिसका बटवारा आवेदन पत्र तहसीलदार तहसील हनुमना के यहां प्रस्तुत किया गया था, तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 25 ए/27/98-99 पंजीबद्ध किया जाकर ओदश दिनांक 05.02.03 पारित कर बटवारा स्वीकार किया गया था। बटवारा पुल्ली पर दोनों पक्षों द्वारा अपने-अपने हस्ताक्षर बनाये गये थे, उसी के अनुसार नक्शा तरमीन भी किया गया था। दोनों पक्षों के हिस्से की भूमि पर बटा नम्बर डाले गये थे।

2- यहकि, तहसीलदार हनुमना के समक्ष आवेदक द्वारा इस आशय का एक आवेदन पत्र नक्शा सुधार किये जाने बाबत प्रस्तुत किया गया था एवं बताया गया था कि पूर्व बटवारा अनुसार भूमि का नक्शा सुधार किया जायें। इस संबंध में अनावेदक को तहसीलदार हनुमना द्वारा विधिवत रूप से सूचना दी गई थी एवं अनावेदक द्वारा

K.K. Dwivedi 27-1-10

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 126–तीन/2010 जिला –रीवा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभि. एवं आवेदक के हस्ताक्षर
4-05-16	आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक पक्ष के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण के प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 801–तीन/2008 आदेश दिनांक 29.10.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 126–तीन/2010 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये। आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 801–तीन/2008 में वर्णित हैं। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 29.10.2009 से किया जा चुका है। रिव्यु प्र0क0 801–तीन/2010 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:– 1– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी	

रिव्यू - 126. 15/2016

नहीं मिल पाई थी।

2– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

3– कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । उभय पक्ष सूचित हों।

सदस्य